

अति-आवश्यक


राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ-27(36)ग्राविवि/अनु.5/जीकेएन/बीएसआर सॉफ्टवेयर/2015-16 जयपुर दिनांक 30-9-15

आदेश

विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति में प्रत्येक संभाग से रोटेशन के आधार पर एक जिले के अधिशाषी अभियंता (अभि.) को सदस्य मनोनीत किया जाना है के कम में निम्नानुसार संभाग के आगे अंकित जिलों के अधिशाषी अभियंता को तकनीकी अनुमोदन समिति का वर्ष 2015-16 हेतु सदस्य मनोनीत किया जाता है :-

1. जयपुर संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जि.प. जयपुर।
2. अजमेर संभाग - अधिशाषी अभियंता (अभि.), जि.प. अजमेर।
3. बीकानेर संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जि.प. बीकानेर।
4. कोटा संभाग - अधिशाषी अभियंता (अभि.), जि.प. कोटा।
5. उदयपुर संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जि.प. उदयपुर।
6. जोधपुर संभाग - अधिशाषी अभियंता (अभि.), जि.प. जोधपुर।
7. भरतपुर संभाग - अधिशाषी अभियंता (अभि.), जि.प. भरतपुर।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रा.वि.एवंपंचा.राज.विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अभियंतागण, ग्रा.वि.एवंपं.रावि/ईजीएस जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. रक्षित पत्रावली।


(कै. कै. शर्मा)

√ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि